3

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15882 जयपुर, दिनांक : 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र **"ईट भट्टों के उधोग में नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7210 दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **"ईट भट्टों के उधोग में नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

ईट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	श्रमिकों /कर्मचारियों के वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी (रूपये में)
1	पथेर (कच्ची ईट की थपाइ)	1000 ईट प्रति व्यक्ति	249/–
2	भराई वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	121/–
3	निकासी वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	139/–
4	पक्की ईट की लोडिंग	1000 ईट प्रति व्यक्ति	82/–
5	गठ्ठी बंद कराई	प्रति गठ्ठी प्रति व्यक्ति	93/–
6	जलाई वाला	–	249/– प्रति दिन
7	जलाई मिस्त्री	–	7774/–प्रति माह
8	सफाई प्रति गेड	–	225/– प्रति दिन
9	बैलदार/रापस्या	–	225/– प्रति दिन
10	पाणतिया	–	237/– प्रति दिन
11	जमादार	–	249/– प्रति दिन

टिप्पणियाः–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. **(क) अकुशल** (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।

   (ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।

   (ग) कुशल (skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये है। इव अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15883-927 जयपुर, दिनांक : 19.8.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर